10/10/2022

पत्रावली आज दिनांक तारीख पेशी में ली गई। अप्रार्थीगण श्री पवन पुत्र बनवारी, रामचन्द्र, लक्ष्मीनारायण, राजेन्द्र, रामनिवास, पि0 रामप्रताप, जयप्रकाश पुत्र धर्मपाल जाति जाट साकिन दलपतपुरा को तलब किया गया। अप्रार्थीगण को जारी नोटिस बाद तामिल होकर प्राप्त हुआ जो सामील पत्रावली किया गया अप्रार्थी तारीख पेशी पर हाजिर नही बार--बार आवाजे लगवाई फिर भी अप्रार्थीगण हाजिर नही। अप्रार्थीगण का जवाब बन्द किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाती है हल्का पटवारी दलपतपुरा द्वारा अप्रार्थीगण श्री पवन पुत्र बनवारी, रामचन्द्र, लक्ष्मीनारायण, राजेन्द्र, रामनिवास, पि0 रामप्रताप, जयप्रकाश पुत्र धर्मपाल जाति जाट साकिन दलपतपुरा द्वारा गै0मु0 सिवाय चक भूमि के ख0न0 2/2 की 4.807, 2/3 की 1.265 एवं 229 की 5.06 है0 भूमि पर नाजायज रूप से खरीफ सम्वत 2079 फसल काश्त कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट प्रमाणित होती है। अतः प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमण करने के कारण अप्रार्थीगण को अतिक्रमी घोषित किया जाकर भू.राजस्व दर का 50 गुणा के बराबर तावान राशि लगभग 1110 रू0 से दण्डित किया जाता है। भू. अभि.निरीक्षक मेघाना ने गत आदेशिका दिनांक 15.09.2022 की पालना में रिपोर्ट पेश की है कि उक्त खसरे पर दिनांक 30.09.2022 को हमराह पटवारी हल्का दलपतपुरा, कृषि प्रवेक्षक दलपतपुरा के साथ मौका देखा तो पाया कि उक्त खसरो पर से फसल कम वर्षा एवं उच्च तापक्रम के कारण सम्पूर्ण नष्ट हो चूकि है जिसके कारण कुर्की/ निलामी की कार्यवाही नही की जा सकी अतः भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट को आधार मानते हुए कुर्की/निलामी की कार्यवाही स्थगीत की जाती है एवं भू–अभिलेख निरीक्षक मेघाना को अलग से आदेश जारी हो कि प्रश्नगत भूमि पर से अतिक्रमी को बेदखली रिपोर्ट पेश करे।

पटवारी हल्का/तहसील राजस्व लेखाकार को आदेशित किया जाता है कि तावान राशि 1110 रू की मांग कायम कर राशी जमा खजानाराज करावे अतः पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नही पत्रावली नम्बर शुमार से कम की जाकर दाखिल दफतर हों।

कार्यालय तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

कमाक / राजस्व / 2022 / 1422 दिनांक: 10/10/22

आदेश

इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 343 / 2022 में निर्णय दिनांक 10.10.2022 के द्वारा जयप्रकाश–धर्मपाल–रामचन्द्र–लक्ष्मीनारायण–राजेन्द्र–रामनिवास पि0 रामप्रताप, पवन पुत्र बनवारीलाल जाति जाट साकिन दलपतपुरा त0 नोहर जिला हनुमानगढ के प0ह0 दलपतपुरा के ख.न. 2/2 की 4.807 है0, 2/3 की 1.265 है0 एवं 229 की 5.06 है0 नाजायज काश्त करने की पटवारी हल्का की रिर्पोट प्राप्त होने पर अप्रार्थीगण को अतिक्रमी घोषित किया जाकर भू0अ0नि0 मेघाना को अतिक्रमी को बेदखली आदेश दिया जाता है तथा जुर्माना स्वरूप राशि 1110 रूपये से तावान दण्डित किया गया है।

अतः उक्त अतिक्रमी को विवादित भूमि में किसी न्यायालय का स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तुरन्त नियमानुसार बेदखल कर पालना रिपोर्ट सात दिवस में प्रस्तुत करे।

तहसीलदार (राजस्व)
नोहर

कमाक / राजस्व / 2022 / 1423 दिनांक:– 10/10/22

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेशित हैः–

1. तहसील राजस्व लेखाकार मांग कायमी हेतु।
2. भू.अभिलेख निरीक्षक मेघाना को भेजकर लेख है कि अतिक्रमी को मौके से बेदखल कर रिपोर्ट पेश करने।
3. पटवारी हल्का दलपतपुरा को भेजकर लेख है कि तावान राशि 1110 रू की वसूली कर बेदखली की कार्यवाही में भू.अभिलेख निरीक्षक मेघाना को सहयोग करावें।

तहसीलदार (राजस्व)
नोहर